दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

जैसाकि श्री सुभाष चंदर शर्मा, जूनियर इंजीनियर (सी), डीडीए के खिलाफ डीडीए कंडक्ट डिस्पिलिनरी और अपील रेगुलेशन 1999 के रेगुलेशन 25 के अधीन जांच रखी गई है और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी को श्री सुभाष चंदर शर्मा, जे.ई. (सी), डीडीए के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए कमिशनर (पी), डीडीए द्वारा जारी ऑर्डर संख्या 138 दिनांक 31-01-2007 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

और जैसाकि कथित अधिकारी श्री सुभाष चंदर शर्मा, जे.ई. को उनके द्वारा दिए गए पतों सी-2/126, अशोक विहार, फेज़-II, नई दिल्ली और 1405, सर्वे ड्राइव, स्टिलवॉटर ओकलाहोमा 74074, यू.एस.ए. पर पत्र भेजकर 24-04-07 को अपराह्न 2 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था परन्तु सी.ओ. वापिस नहीं पहुँचा। विशेष संदेशवाहक से उनके द्वारा दिए गए दिल्ली के अंतिम पते पर पत्र भेजा गया जिसमें उन्हें 24-04-07 को उपस्थित होने को कहा गया था परन्तु पत्र डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि घर पर उपस्थित व्यक्ति ने बताया कि वहाँ कोई सुभाष चंदर शर्मा नहीं रहता।

उनके यूएसए के दूसरे घर के पते पर भी 24-04-07 को उपस्थित होने के लिए पंजीकृत पत्र भेजा गया पर वह नहीं पहुँच सका और आरएडी पत्र को भी डाक विभाग द्वारा 'अस्वीकृत' लिखकर वापिस कर दिया गया।

अब श्री सुभाष चंदर शर्मा, जे.ई. को इस सूचना द्वारा अपने केस का बचाव करने का आखिरी मौका दिया गया है और खुद को 18-06-07 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उनके कार्यालय में कमरा न. 45, डीडीए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फेज-I, अशोक विहार, रेल अंडर ब्रिज के पास, दिल्ली-52 (फोन : 2741-1754) में प्रस्तुत होने को कहा गया है, इसमें असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि कथित अधिकारी जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का इच्छुक नहीं है और जांच को एक पक्षीय रखा जाएगा।

(बी.के. रॉय)
जांच अधिकारी, डीडीए

कृपया डीडीए वेबसाइट 'dda.org.in' देखें अथवा डायल करें 42895566